



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-06012026-269131
CG-CG-E-06012026-269131

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2026/पौष 15, 1947

No. 34]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2026/PAUSHA 15, 1947

रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) अधिसूचना

बिलासपुर, 2 दिसम्बर, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20 ई के तहत अधिसूचना

का.आ. 35(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसमें इसके पश्चात् (अ) उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (II) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 4526 तारीख 13 अक्टूबर 2025 जिसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा—रायगढ़, रायगढ़—चांपा, चांपा—बिलासपुर, तिल्दा—बिलासपुर, तिल्दा—दुर्ग, मुंडीकोटा—नागपुर, बिलासपुर—पेंड्रारोड—अनूपपुर और रायपुर—लखौली के मध्य में मौजूदा 1X25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2X25KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य में निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आषय की घोषणा की थी, और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधिन 20क अधिसूचना का सार, दैनिक भास्कर (हिन्दी), नवभारत (हिंदी, टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) 19-10-2025 में प्रकाशित किया गया था, और निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई और उक्त अधिनियम की धारा 20घ के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप धारा(1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है, अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी, और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस

अधिघोषणा के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांतिक रूप से निहित हो जाएगी।

प्रस्तावित किये जाने वाले भूखंडों के 20 ई का विवरण .

जिला - बलोदा बाजार भाटापारा				राज्य - छत्तीसगढ़					
क्र	अनुबिभागीय अधिकारी (रा०)/ सक्षम पदाधिकारी	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भू स्वामी का नाम	किस्म	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	11
1.	अनुबिभागीय अधिकारी (रा०) सिमगा, जिला - बलोदा बाजार भाटापारा , छत्तीसगढ़	सिमगा	धोधा	राजकुंवर बेवा छोटूराम, कन्हैया, विष्णु, चन्द्रिका बाई, अमरीका बाई ,केरा बाई, पंच बाई,रुक्मणी बाई, कान्ती बाई पिता छोटूराम	कृषि	386	0.130	400	0.040
				मनोज, कैलाश,लक्ष्मी, गौरी, विनीता पिता हीराराम, निर्मला बाई बेवा हीराराम	कृषि	387	0.470	1200	0.12
				बुधियारिन बेवा हीराराम	कृषि	388	0.080	10	0.001
				मनोज, कैलाश,लक्ष्मी, गौरी, विनीता पिता हीराराम, निर्मला बाई बेवा हीराराम	कृषि	771	0.330	650	0.065
				योग			1.01	2260	0.226

[फा. सं. सीपीएम/इले/बी.एस.पी./2ग25 के.वी. ओ.एच.ई./भूमि अधि./ 20 E/1513]

विजय कुमार साहू, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 2nd December, 2025

Notification Under Section 20 E of The Railway Act 1989

S.O. 35(E).— Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number 3257, dated the **19.July.2025**, published in the Gazzette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii) , hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act,1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act),the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between **Jharsugda-Raigarh**, Raigarh-Champa, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur & Raipur-Lakholi sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Odisha, Chhattisgarh, Maharashtra over SEC railway. And, whereas the substance of the said notification 20 A was published as per section 20A sub section (4) in the daily Newspapers Times of India(English), Dainik Bhaskar (Hindi), Navbharat (Hindi), Edition on 30.07.2025 and whereas, **No objections were received within the set time period** and

disposed of by the Competent Authority under section 20D of the said Act; and, whereas, in pursuance of subsection (1) of section 20E of the said act, the Competent Authority has submitted his report to the central Government. Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the section 20E of the said act 1989, the central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all Encumbrances.

The details of land for which 20(E) is proposed to be issued:

Distt- Baloda Bajar - Bhatapara				State- Chhattisgarh					
SN	SDM (Rev.)/ Competent Authority	Name of Tehsil	Name of Village	Nature of ownership	Nature of land	Land khasra no.	Total area (in Hec)	Total area	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(in Sq.metre)	(in Hectare)
1	SDM (Rev) Simga (Distt. – Baloda Bajar- Batapara Chhatisgarh	Simga	Dhodha	Rajkuvar bewa Chhotu ram, Kanhaiya, Vishnu, Chandrika Bai, Amreeka Bai, Kera Bai, Panch Bai, Rukmani Bai, Kanti Bai pita Chhoturam	Krishi	386	0.13	400	0.040
				Manoj, Kailash, Lakshmi, Gauri, Vineeta pita Heeraram, Nirmala Bai bewa Heeraram	Krishi	387	0.470	1200	0.120
				Budhiyarin bewa Chhotku	Krishi	388	0.080	10	0.001
				Manoj, Kailash, Lakshmi, Gauri, Vineeta pita Heeraram, Nirmala Bai bewa Heeraram	Krishi	771	0.330	650	0.065
				Total			1.01	2260	0.226

[F.No. CPM/El. /BSP/2x25KV OHE/Land Acquisition/20 E/ 1513]
VIJAY KUMAR SAHU), Chief Administrative Officer/Con.